न्यायामूर्ति एम. एम. पुंछी और ए. एल. बहरी, के समक्ष

ग्राम पंचायत, गांव खैरा, तहसील महिंदर- गढ़, जिला नारनौल, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 10817।

11 सितंबर 1989

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 – धारा 4(2) – नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन के खिलाफ आपत्तियां उठाने का अधिकार – धारा 4(2) "निवासियों" को अधिकार प्रदान करती है – ग्राम पंचायत को निवासी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए, आप आपत्ति नहीं कर सकते/ धारा 4(2)—वस्तु का अधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों में निहित है—शब्द और वाक्यांश—धारा 4(2) में प्रयुक्त निवासियों का तात्पर्य प्राकृतिक है न कि न्यायिक व्यक्तियों से।

माना गया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 4(2) के तहत, नगरपालिका क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र का कोई भी निवासी, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन पर आपत्तियां उठाने का हकदार है। यहां याचिकाकर्ता खैरा गांव की ग्राम पंचायत है और वह कथित तौर पर नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव से व्यथित है। हमारे विचार में, ग्राम पंचायत, जो एक न्यायिक व्यक्ति है और प्राकृतिक नहीं है, को 'निवासी' नहीं कहा जा सकता है, ताकि नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के परिवर्तन के बारे में धारा 4(2) के तहत आपत्ति की जा सके। यह विशेषाधिकार प्राकृतिक व्यक्ति के पास है न कि पंचायत जैसे न्यायिक व्यक्ति के पास।

(पैरा-3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

(क) मामले के रिकॉर्ड मंगाए जाएं;

(ख) अनुलग्नक पी-1 और पी-3 पर विवादित अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जाए;

(ग) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में सही और उचित समझे, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी अनुलग्नक पी-1 और पी-3 पर लागू अधिसूचनाओं को रद्द कर सकता है। कृपया जारी किया जाए;

(घ) प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस जारी करने की शर्त को समाप्त किया जा सकता है;

(च) कृपया याचिकाकर्ता को रिट याचिका की लागत भी प्रदान की जाए।

दर्शन कौर बनाम गुरदयाल सिंह और अन्य (एस.एस. सोढ़ी, जे.)

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अनुलग्नक पी-1 और पी-2 पर विवादित अधिसूचना के संचालन पर वह न्याय के हित में रोक लगा दें।

याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. बाली, अधिवक्ता आर.ए. यादव के साथ।

एस. वी. राठी, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

आदेश

(1) श्री बाली स्वीकार करते **हैं** कि उन्हें लागत प्राप्त हुई **है।**

(2) श्री राठी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से भी उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि वह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पहले ही दाखिल किये गये उत्तर को स्वीकार करते हैं।

(3) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 4(2) के तहत, नगरपालिका क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र का कोई भी निवासी, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन पर आपत्तियां उठाने का हकदार है। यहां याचिकाकर्ता खैरा गांव की ग्राम पंचायत है और वह कथित तौर पर नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव से व्यथित है। हमारे विचार में, ग्राम पंचायत, जो एक न्यायिक व्यक्ति है और प्राकृतिक नहीं है, को 'निवासी' नहीं कहा जा सकता है, ताकि नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के

परिवर्तन के बारे में धारा 4(2) के तहत आपत्ति की जा सके। यह विशेषाधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों के पास है न कि पंचायत जैसे न्यायिक व्यक्तियों के पास।

इस कारण से हम याचिका को तत्काल खारिज करते हैं।

आर.एन.आर

न्यायामूर्ति एस.एस. सोढ़ी, जे.

दर्शन कौर,-याचिकाकर्ता,

बनाम

गुरदयाल

सिंह और अन्य, -प्रतिवादी।

1988 का

नागरिक संशोधन क्रमांक 1174

16 नवंबर, 1989

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) – धारा 47, आदेश 21, नियम 34 – विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का निष्पादन – निर्णय-देनदार आगे बढ़ा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत

कौर

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

(Trainee Judicial

Officer)

_गुरूग्राम,

हरियाणा